प्रेस विज्ञप्ति
28/06/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 31.74 करोड़ रुपये कीमत की चल/अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई चल संपत्तियां लग्जरी कारों, आभूषणों और 1.42 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियों में मुंबई और लखनऊ में 2 आवासीय फ्लैट, सूरत और मुंबई में 21 वाणिज्यिक दुकानें, लखनऊ में 1 वाणिज्यिक कार्यालय स्थान और 1 वाणिज्यिक भूखंड, बख्शी का तालाब, मोहनलालगंज और बाराबंकी लखनऊ में 30.32 करोड़ रुपये कीमत के 60 कृषि भूखंड शामिल हैं। ।

ईडी ने नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 प्राथमिक सूचना रिपोर्टों के आधार पर जांच शुरू की ।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रमोटरों ने कई कंपनियों को शामिल किया और रियल एस्टेट क्षेत्र और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश की आड़ में पोंजी-पिरामिड योजना में जनता से धन एकत्र किया। इसके बाद, जनता को धोखा दिया और एकत्र किए गए धन को पथांतरित किया।

ईडी की जांच में फंड ट्रेल की पहचान की गई और पाया गया कि ग्राहकों से एकत्र किए गए पैसे को समूह के विभिन्न निदेशकों/प्रमोटरों/सहयोगियों को हस्तांतरित और पथांतरित किया गया था। इस तरह से पथांतरित की गई रकम का इस्तेमाल करीबी विश्वासपात्रों और सहयोगियों द्वारा बेनामी व्यक्तियों के नाम पर लग्जरी कारों, आवासीय भूखंडों, फ्लैटों, वाणिज्यिक भूखंडों, दुकानों और कार्यालय की जगह और कृषि भूमि की खरीद के लिए किया गया था।

इससे पहले ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली थी और कई डिजिटल डिवाइस, धन-शोधन के अपराध से संबंधित दस्तावेज और अपराध से अर्जित संपत्तियों का विवरण बरामद किया था। ईडी ने पहले 128.54 करोड़ रुपये की विभिन्न अचल संपत्तियों की पहचान की थी और उन्हें कुर्क किया था। इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की राशि लगभग 160.28 करोड़ रुपये है। ईडी ने 7 आरोपियों श्रीमती शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद, उद्धव सिंह, आशिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव और श्रीमती मीरा श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया था और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की थी। हिरासत में पूछताछ से पता चला कि वे धन-शोधन के अपराध में शामिल थे। इस मामले में तीन अभियोजन शिकायत दर्ज की जा चुकी हैं जिसका संज्ञान माननीय विशेष न्यायालय ने लिया है।